



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228196
CG-DL-E-09072021-228196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]
No. 386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जून, 2021

सा.का.नि. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो पंद्रह दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जा सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2021 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 10 के उपनियम 1(क) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण 1 – कोई व्यक्ति जो केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का विक्रय करने या स्टाक या वितरण करने के लिए विक्रय, स्टाक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञासि या विद्यमान अनुज्ञासि के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करता है और इस तरह रजिस्ट्रीकृत है उन्हें कीटनाशक विक्रेता के लिए विहित शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण 2 - कोई व्यक्ति जो केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का विक्रय करने या स्टाक या वितरण करने के लिए विक्रय, स्टाक या प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञासि के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करता है और इस तरह रजिस्ट्रीकृत है, यदि अनुज्ञासि अधिकारी ने उसके आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उसे अनुज्ञासि अनुदत्त नहीं की है तब अनुज्ञासि दी गई समझी जाएगी।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के खंड (क) में “प्ररूप 3” शब्द और अंक के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप” में शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

4. उक्त नियमों के नियम 15 में,-

(क) उपनियम (2) में, “रजिस्टर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) में, “रजिस्टर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में, “रजिस्टर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे

5. उक्त नियमों के नियम 37 में, उपनियम (1) में, “रजिस्टर” शब्द के पश्चात् “या तो भौतिक प्ररूप या अंकीय प्ररूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 13035/10/2021-पीपी-1]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 1650 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे

1. सा.का.नि. 474 (अ), तारीख 24 जुलाई, 1976
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999
7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999
8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006
9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006
10. सा.का.नि. 128अ), तारीख 26 फरवरी, 2009
11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013

13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014
14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 05 नवंबर, 2015,
15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख, 15 फरवरी, 2016,
16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 13 अगस्त, 2016
17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख, 1 फरवरी, 2017,
18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख, 6 फरवरी, 2017,
19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख, 9 अक्टूबर, 2017,
20. सा.का.नि. 1588(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2018,
21. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2018,
22. सा.का.नि. 1204(अ), तारीख, 13 दिसंबर, 2018,
23. सा.का.नि. 11(अ), तारीख, 4 जनवरी, 2019,
24. सा.का.नि. 535(अ), तारीख, 30 जुलाई, 2019
25. सा.का.नि. 782(अ), तारीख, 14 अक्टूबर, 2019,
26. सा.का.नि. 07(अ), तारीख, 2 जनवरी, 2020
27. सा.का.नि. 355(अ), तारीख, 5 जून, 2020
28. सा.का.नि. 805(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2021

G.S.R. 484(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of fifteen days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2021.
 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in sub-rule (1A), the following *explanations* shall be inserted, namely:-

Explanation 1- A person who applies for the grant of licence or existing licensee to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides commonly used for household purpose only and registered as such, shall be exempted from the requirement of educational qualification prescribed for insecticides dealers.

Explanation 2- A person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides commonly used for household purpose only and registered as such shall be deemed to have licence if the licensing officer did not grant him licence after expiry of a period of ninety days from the date of submission of his application.

3. In the said rules, in rule 10A, in clause (a), after the word and figure “Form III”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted

4. In the said rules, in rule 15.-

- (a) in sub-rule (2), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (3), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted;
- (c) in sub-rule (4), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 37, in sub rule (1), after the word “register”, the words “either in physical form or digital form” shall be inserted.

[F. No. 13035/10/2021-PP-I]
ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 13th August, 2016,
17. G.S.R. 79(E), dated 1st February, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 6th February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 9th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 28th December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 25th April, 2018,
22. G.S.R. 1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R. 11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020,
27. G. S. R. 355(E) dated 5th June, 2020 and
28. G.S.R. 805(E) dated 30th December, 2020.